कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्थानान्तरण/2020–21 दिनांक–04.01.2021 के तहत् दीपा सूद, व्याख्याता–हिन्दी, राबाउमावि, झोटवाडा पुलिया के नीचे, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि, हीरापुर, भिनाई, अजमेर में किया गया। दीपा सूद ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या–533/2021 दीपा सूद बनाम सरकार व अन्य में दायर की गई।

अपील संख्या–533/2021 में माननीय अधिकरण निर्णय दिनांक–27.01.2021 द्वारा अपीलार्थी दीपा सूद को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष्य में आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये है तथा निस्तारित किये जाने तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक–04.01.2021 का कियान्वयन अपीलार्थी के संबंध में स्थगित किया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी दीपा सूद द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं एक विधवा महिला होने, मधुमेह, ब्लेडप्रेशर, थाइराइड से कई वर्षो से पीडित होने, एकमात्र पुत्र सेना में कैप्टन पद पर हिमाचल प्रदेश में लाहौल में बार्डर पर कार्यरत होने के कारण पूर्व विद्यालय राबाउमावि, झोटवाडा पुलिया के नीचे, जयपुर में व्याख्याता–हिन्दी के पद पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करने अन्यथा 1.राबाउमावि, गंगापोल, जयपुर (मई, 2021 में सेवानिवृत्ति से होने वाले रिक्त पद पर), 2. राज. महा.गांधी उमावि बगरू, जयपुर में पदस्थापन करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्य नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./दीपासूद/533/2021/4 दिनांक– 08/02/2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, अजमेर
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु
8. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)